RTI in Action

CUTS International 25 years 1983-2008 | CUTS CART | Partnership for Transparency Fund

Obtaining Information for Reforming the Processes

No. 1. 2009

Promoting RTI Awareness at the Grassroots

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CUTS CART) organised a launch cum orientation workshop under the second phase of Right to Information (RTI) project 'Reforming the processes in the Rural Development Department through Policy and Civic Engagement, based on RTI Act 2005' (RePoRDD) in Jaipur, on June 13-14, 2009.

Project Overview

The project is conceptualised and implemented by CUTS CART in partnership with the Partnership for Transparency Fund (PTF), an international NGO based in Washington DC. The project which is for a duration of one year started from May 2009.

The project is being implemented in two administrative districts of Rajasthan state viz., Jaipur and Tonk with a rural community based approach. Its objective is to provide a common platform to all selected Consortium of Groups for Combating Corruption (CGCC) members and orient them about the project goals, objectives, outputs and activities.

The Launch Meeting

The launch meeting commenced with the introductory remarks by George Cheriyan, Director, CUTS. He laid emphasis on the potential of RTI for bringing transparency and accountability. While briefing about the project, he said that setting up of a watchdog group (CGCC), generating awareness among the rural mass about RTI and its filing process, is one of the highlights of the project.

Shailesh Gandhi, Information Commissioner, Central Information Commission, New Delhi while delivering the inaugural address said, "Further amendment to the RTI Act is one of the major possible dangers to the Act". He called upon the common mass to join hands and fight against the possible challenges.

Harinesh Pandya, Maheti Adhikar Gujarat Pahel said that filing RTI applications in high numbers is the only way to bring accountability and transparency. He said that the Act has not only benefited the common man but also people in administration as it has reduced undue interference of the people in power.

Later the gathering of RTI activists and CSOs from the state unanimously raised the collective concern to the Government of India over the announced 'suitable amendments' to the RTI Act, and also to the Government of Rajasthan to take appropriate steps for the effective implementation of the Act in the State.

First Orientation Workshop

About 75 RTI activists participated in the workshop, which included representatives of more than 40 civil society organisations (CSOs) from the selected 11 rural blocks of Jaipur working on RTI Act. Out of these 40 CSOs, representatives of 30 CSOs were selected as CGCCs.

This event provided an opportunity to the project team to share valuable views of the participants; promoting the use of RTI Act, 2005; and reforming the corrupt processes in Rural Development Department so that transparency and accountability in service delivery and decision-making processes could be enhanced.

All the CGCCs were provided a task of filing more and more RTI applications in select schemes, like National Rural Employment Guarantee Scheme, *Indira Aavas Yojana* and *Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana.*

IN THIS ISSUE

Launch Meeting 2
Visit of Bangladeshi Delegation 2
RTI Success Stories 3
What is RTI? 4
CART in Media 4

Second Orientation Workshop

The second, two-day Orientation Workshop was held in Tonk on June 18-19, 2009. *Zila Pramukh* of Tonk, Ram Vilas Chaudhari was the chief guest. Dr. Rakesh Ranjan from Commonwealth Human Rights Initiatives (CHRI), Madhya Pradesh was the external resource person.

While addressing the participants, Chaudhari emphasised on the fact that the main purpose of the RTI Act was to empower the common people at the grassroots so that they could acquire any kind of information from the government and could be part of the governance. He also stated that the government conceptualises different schemes for the welfare of the citizens but due to deep rooted corruption in the administration, common people are not able to avail benefits which is a matter of great concern.

Madhu Sudan Sharma briefed all the participants about the project activities. He also informed about the 'RTI Advisory & Information Centre' established at CUTS CART on May 01, 2009 and the formation of CGCC groups.

Rakesh Ranjan delivered the presentation on "Potential of RTI Act as a Good Governance Tool". He stated that transparency, accountability, responsibility and participation are some of the key aspects of good governance. He emphasised the fact that for proper implementation and monitoring of different developmental schemes, public participation was very important.

Ranjan stated two reasons for corruption in the administration: one is lack of knowledge among the people; and second is red tapism or delaying the procedure. Both reasons force the common man to pay in cash or kind so as to get their work done. In the end, he recommended that now it is the collective responsibility of all CGCCs and local CSOs to inculcate the habit of using RTI Act against corrupt processes among common people.

About 50 RTI activists, five youth belonging to Nehru Yuva Kendra and representatives of more than 25 CSOs of all the selected six blocks of Tonk district participated in the workshop. Out of these 25 CSOs, all were selected as CGCCs.

RTI helps Man from Bihar become a Civil Judge

RTI Act can get you a job. Sounds unbelievable? Ask 30-year-old Dhirendra Kumar, who is now a civil judge in Dumroan in Bihar, failed to clear the Bihar Judicial Services Examination in 2007, or at least his result showed so. But it was his confidence of having done well in the exam and the power of the RTI Act that helped him undo the injustice meted out to him. For this, he is a nominee for the National RTI Award in the Best Citizen Category.

Kumar received a jolt when he could not find his name in the list of candidates selected for the interview, he then filed a RTI application to request his score in all the subjects covered in the exam. There were around 800 people on the interview list but Kumar's name was missing. The Bihar Public Service Commission (BPSC) told Kumar that his marks could not be revealed till the interview process was completed. His RTI application, however, forced the BPSC to post the marks of all the candidates, who had appeared for the interview, on the Commission's website.

Kumar had received 451 marks, which was much higher than those called for interview. When enquiring from the BPSC, he was told to file one more RTI application to know the reason for not calling him for an interview. Kumar then filed his second RTI application but did not receive any response.

When he again went to the BPSC office, the Public Information Officer (PIO) told him that the cutoff for the post he had applied for was much higher than what he had scored, but Kumar obtained a copy of his BPSC application, using RTI, and proved that his exam score made him eligible for the interview.

The PIO then contacted Kumar and gave him the first written reply to his RTI application, which said that he would be called for interview. He cleared the interview and is a civil judge today.

(HT, 16.06.09)

Visit of Bangladeshi Delegation

On June 05, 2009, a group of four people from SHARIQUE (Local Governance Programme in Rajshahi and Sunamganj), Bangladesh visited CUTS. The visit was facilitated by CHRI to understand the functioning of *Panchayati Raj* Institutions (PRIs) in Rajasthan and how the implementation of the RTI Act has brought about changes as far as transparency and accountability of local self governing institutions are concerned.

A brief overview of CUTS and its programme areas and current interventions in the areas of 'Good Governance' and 'Access to Information' were provided. Information was imparted on the learnings, findings and outcomes of the Phase I and II of RTI project. Queries raised by them were also answered.

The delegation visited *Gram Panchayat* named Harsuliya under Phagi *Panchayat Samiti.* (selected for developing as a model *Gram Panchayat* under RePoRDD project) and learnt about the functioning and implementation of RTI Act in their *Gram Panchayat.* Madhu Sudan Sharma and Om Prakash Arya met with the group and facilitated the visit.

Raise a hand, raise a finger. Do any thing, but do not corruption longer.

– Ban-Ki-moon, General Secretary, UNO

‘सूचना के अधिकार’ की सफलता की कथाएं

जानने की कोशिश तो करें, सूचना अवश्य मिलेगी।

किशनलाल, जो कि एक बी.पी.एल. परिवार का मुखिया है तथा उस जैसे हजारो लोगों से जुड़े हुये ऐसे कई निर्णय प्रशासन द्वारा लिये जाते हैं जो उनके जीवन को विभिन्न तरह से प्रभावित करते हैं। सरकारी कामों में जनता का बहुत पैसा भी लगता है। अत: किशनलाल को यह अधिकार है कि उन्हें ऐसी जरूरी तमाम बातों के बारे में पता चले। यदि सरकारी निर्णय प्रक्रिया व किये जा रहे कामों के बारे में किशनलाल व अन्य ग्रामवासियों को खुली जानकारी मिल रही है तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। यह शासन में पारदर्शिता व जन भागीदारी कहलाता है।

यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जान या निजी स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तो सूचना 48 घंटें में दी जानी चाहिए।

सरकार और शासन लोगों के लिये है ओर दोनों कानून से बचे नहीं है। यदि काम सही ढ़ंग से नहीं होता, तो शासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि हरसूलिया गांव में ‘नरेगा’ का काम सही नहीं चल रहा है या इन्दिरा आवास में पैसे खाये जा रहे है तो वहां के आम जन, दोषियों के बारे में सूचना मांग सकते हैं तथा उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही के बारे में शासन व प्रशासन से जान सकते हैं व उन्हें इसकी सूचना निश्चित समयावधि में देनी होगी। यही कहलाता है शासन की जनता के प्रति जवाबदेही।

लोकतंत्र का मतलब जनता को, जनता के लिए, जनता का शासन होता है। हम शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। हम सरकार चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के करों द्वारा सरकारी खजाने में रूपये देते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिये, हमारे ही रूपयों से होता है। एक आम आदमी रोजमर्रा की चीजों पर लगे करों के माध्यम से सरकार को अंशदान देता है। तो क्यों नहीं हम सब हमारे पैसों का पूरा हिसाब जाने व पैसे के दुरूपयोग पर सवाल पूछे और क्यों न भ्रष्टाचारियों को दण्ड दिलवाये तथा उनके कुकृत्यों को आमजन के सामने खोलकर रख दें। मगर एक ही महत्वपूर्ण बात है, हम इन सबके लिये कोशिश तो करें। जिससे इस महत्पूर्ण कानून की सार्थकता सिद्ध हो।

सूचना किसे कहते हैं?

सूचना कई रूपों में हो सकती है। जैसे सरकारी व शासकीय कार्यवाही, बैठकों के ब्यौरे, किसी भी मुद्दे पर लिये गये निर्णयों व निर्णय प्रक्रियाओं की जानकारी, शासकीय आदेशों, अधिसूचनाओं व पत्रावलियों का विवरण तथा शासकीय रजिस्टरों में की गई प्रविष्ठियों की कॉपियां, वित्तीय खातों के इन्द्राज व कॉपियां, बिल व वाउचरों की कॉपियां, विभिन्न टेण्डरों व निविदाओं से सम्बन्धित कार्यवाहियों की जानकारी, किसी भी निर्माण कार्य व गतिविधि के खर्चों, मानचित्र व उद्देश्यों व उपयोगिता का विवरण या यह कहा जाए कि हर प्रकार के शासकीय दस्तावेज जो नियमानुसार देय है, ही सूचना का सही भावार्थ है तथा ‘सूचना का अधिकार’ अधिनियम के तहत उपरोक्त का अवलोकन व छाया प्रतियां प्राप्त की जा सकती है।

ये नींद कब टूटेगी?

ग्राम पंचायत दोसरा, फागी निवासी शिवनारायण मीणा, पुत्र श्री बजरंग लाल मीणा ने अपनी ग्राम पंचायत में चल रही ‘स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना’, जिसका मुख्य उद्देश्य चयनित बी.पी.एल. परिवारों को साख व अनुदान द्वारा आय वृद्धि करने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, के बारे में उसकी ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी मांगी तो ग्राम सचिव ने बिना सोच विचार किये आवेदक को लिखित में सूचना भेजी। जिसे देखकर शिवनारायण व अन्य भौंचक्के रह गये। क्योंकि भेजी गई सूचना में बताया गया था कि योजनान्तर्गत बनाये गये समूहों द्वारा सड़क, खेली व खुर्रा निर्माण कराया गया तथा इन निर्माण कार्यों में कुल 5,30,000 रूपये खर्च हुए। सचिव द्वारा नींद में दी गई सूचना के बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। मगर मूल चिंता यह है कि ये नींद कब टूटेगी?

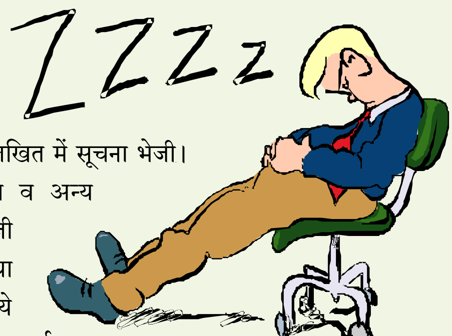

‘सूचना का अधिकार’ परामर्श एवं सूचना प्रकोष्ठ

‘कट्स-कार्ट’ कार्यालय में ‘पार्टनरशिप फॉर ट्रान्सपेरेन्सी फण्ड वाशिंगटन डी.सी.’ के सहयोग से ‘सूचना का अधिकारः परामर्श एवं सूचना प्रकोष्ठ’ स्थापित है। इस प्रकोष्ठ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित समस्त जानकारी व्यक्तिशः, टेलीफोन या ई-मेल के जरिए प्रदान की जा रही है।

यदि आप या आपके आस-पास रहने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी या सहायता प्राप्त संस्थान से किसी भी प्रकार की वांछित सूचना चाहिए या इस अधिनियम के तहत लगाई अर्जी पर किसी विभाग से सूचना प्राप्त करने में समस्या आ रही हो, अनावश्यक देरी की जा रही हो या जो सूचना आपको दी गई है उससे आप सन्तुष्ट नहीं है अथवा सरकारी विभागों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है तो आप निम्न पते पर लिखित में सूचित करने या व्यक्तिगत सम्पर्क करने का कष्ट करें। ‘कट्स-कार्ट’ आपकी पैरवी करने में हरसंभव प्रयासरत रहेगा।

खुला रजिस्टर मिली सूचना मोडल आर.टी.आई. ग्राम पंचायत

‘कट्स’ द्वारा ‘सूचना का अधिकार’ परियोजना अन्तर्गत जयपुर व टोंक की एक-एक ग्राम पंचायतों क्रमश: हरसूलिया, फागी व मूण्डिया, निवाई को ‘सूचना का अधिकार’ अधिनियम क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में एक मोडल के रूप में कार्य करने हेतु चयनित किया है।

अगर पहलेबात करे हरसूलिया ग्राम पंचायत की, जहां पर परियोजना की शुरूआत के पूर्व ग्राम पंच, सरपंच व ग्राम सचिव इस अधिनियम व इसकी उपयोगिता के बारे में पूर्णत: अज्ञान थे तथा उस समय तक उनका सामना किसी भी सूचना के अधिकार अधिनियम की अर्जी से नहीं हुआ था। मगर परियोजना अधिकारियों व परियोजनान्तर्गत कार्य कर रहे स्थानीय सी.जी.सी.सी. सदस्यों के पारस्परिक अर्न्तक्रिया से पंचायत कर्मचारियों को इस कानून के बारे में संवेदनशील व जागरूक बनाया गया और देखते ही देखते ग्रामीण, ग्राम सचिव से कई सवालकरने लगे। उधर ग्राम सचिव ने भी इन सवालों को गंभीरता से लिया व लगभग 29 आवेदनों को संतोषप्रद सूचना उपलब्ध करवाई। ग्राम पंचायत में अब ‘सूचना का अधिकार’ का एक अलग से रजिस्टर संघारित किया जा रहा है तथा प्रत्येक आवेदक को पंजीकृत कर चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है। यह तो इस ग्राम पंचायत को मोडल स्वरूप बनाने की दिशा में मात्र एक कदम है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर करने के विरोध में जनहित याचिका की सुनवाई: कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा

कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया गया कि क्यों पांच विषयों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर किया गया है?

यह जनहित याचिका, जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की ओर से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संदीप पाण्डे तथा सूचना का अधिकार कार्यकर्ता नवीन तिवारी ने दाखिल की थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से पांच विषयों को 07 जून, 2009 को बाहर किया था जो इस प्रकार है: राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की आचरण संहिता तथा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र। पिछले वर्ष 24 मार्च, 2009 को नागरिक उड्डयन विभाग की दो इकाइयों को भी प्रदेश सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर किया था। जिससे कि राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर करने की साजिश बताया था।

श्री नवीन तिवारी के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) के तहत राज्य सरकार सिर्फ सुरक्षा एवं अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल कार्यालयों को ही सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना इन संगठनों को भी उपलब्ध करवानी चाहिए है। मगर उपरोक्त विषय जो कि अधिनियम की परिधि से बाहर किये गये हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते कि सूचना नहीं देवे।

पी.यू.सी.एल. उत्तरप्रदेश के उपाध्यक्ष एस.आर. दारापुरी के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों की अनुपालना की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है, वह किसी कानून को कमजोर नहीं कर सकती। अत: राज्य सरकार के ये कृत्य कानून व संविधान विरोधी है। अत: राज्य सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम में लाये गये परिवर्तनों को तुरंत प्रभाव से वापिस लेना चाहिए जिससे कि इसका मौलिक स्वरूप बना रहें।

CART IN MEDIA

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)
D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Ph: 91.141.513 3259, 228 2821, Fax: 91.141.228 2039, 228 2485
Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

CUTS CART

In Partnership With: **Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC**